फा.सं.1/3/2016-हिन्दी
भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली-110049

दिनांक:/मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26 मार्च, 2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में ।

मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 26 मार्च, 2018 को हुई बैठक का कार्यवृत्त 06 अप्रैल, 2018 को परिचालित किया गया था और अनुरोध किया गया था कि बैठक में मदवार लिए गए निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाए परंतु अभी तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । अनुवर्ती कार्रवाई मदवार निम्नानुसार अपेक्षित है:-

मद सं.2: 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट की समीक्षा –इसके क्रम में प्रशासन अनुभाग, शीत श्रृंखला, पशुवधशाला, एफटीएल, प्रोत्साहन कार्यकलाप और टीयूएस प्रभाग का हिंदी पत्राचार लक्ष्य से काफी नीचे और आंतरिक वित्त खंड, शीत श्रृंखला प्रभाग, एफटीएल, प्रोत्साहन कार्यकलाप और टीयूएस प्रभागों में हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत कम पाया गया । इन सभी अनुभागों/प्रभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने पत्राचार और हिंदी टिप्पणी लेखन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें । निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पत्राचार और टिप्पणियाँ लिखना सुनिश्चित किया जाए ।

मद सं.4: अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करना ताकि हिंदी सलाहकार समिति की अगली बैठक में उसे समिति के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जा सके – के संबंध में
पुन: दोहराया गया कि मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके हिंदी कार्य संबंधी विवरण मंगाने के लिए प्रपत्र को एमएस वर्ड फाइल में प्रेषित किया जाए । तदनुसार, प्रपत्र सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रेषित किया जा चुका है किंतु अभी तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है । हिंदी सलाहकार समिति की बैठक प्रस्तावित की जा चुकी है कृपया सूचना शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

कृपया अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट 28 मई, 2018 तक उपलब्ध कराने का कष्टें करें ।

(एस.के.वर्मा)
उप-सचिव, भारत सरकार

वितरण:

1. निदेशक (के.बी.एस)/निदेशक (जे.के.)/निदेशक (ए.एस.) ।
2. उप सचिव (जी.डी.एस.)/उप सचिव (ए.एन.)/उप सचिव (एस.के.वी.) ।
3. अवर सचिव (एच.के.पी.)/अवर सचिव (श्रीकला पी.वेणुगोपाल)/अवर सचिव (एस.के.एस.)/अवर सचिव (एन.पी.एस.)/अवर सचिव (पी.के.एम.)/ अवर सचिव (जी.जे.)/ अवर सचिव (एम.आर.जैड.)/ अवर सचिव (वी.के.बी.)/ अवर सचिव (टी.जैड.के.)/अवर सचिव (वी.के.) ।
4. उप-निदेशक (ए.एम.)/उप-निदेशक (एस.एस.ए.)/उप औद्योगिक सलाहकार (एस.एस.)/ वरिष्ठ विपणन अधिकारी (एस.के.एस.)/ वरिष्ठ विपणन अधिकारी (ए.एम.)/विपणन अधिकारी (बी.जी.पां.)/डॉ. के.के.ए. /विपणन अधिकारी (जे.पी.डी.)/सहायक निदेशक (एस.एन.ए.)/सहायक निदेशक (बी.एन.)/सहायक निदेशक (एस.के.)/ अनुभाग अधिकारी (डी.पी.एस)/डीडीओ (एस.एन.एच)।
5. निदेशक/एनआईसी (श्री तरुण नयाल)-कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें ।

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (पी.जी.) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (ए.के.) के निजी सचिव/ अपर सचिव (डी.एस.जी.) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (जी.के.) के कंसलटेंट/आर्थिक सलाहकार (बी.के.बी.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एम.ए.) के निजी सचिव ।